1	2	3	4
Tripura	856	619	237
U.P.	112566	17851	95515
W.B.	38025	7264	30760
Goa	386	182	204
Andaman & Nicobar Islands	491	85	406
Chandigarh . . .	24	6	18
Dadra & Nagar Haveli .	70	32	38
Delhi	214	115	99
Daman Diu . .	26	14	12
Lakshdeep . . .	7	10	—
Pondicherry . . .	291	58	233
	579132	132646	448485

डाक और दूर संचार विभागों में हिन्दी अनुवादकों की पदोन्नति

448. **श्रीमती सुषमा स्वराज** : क्या संचार मंत्री 31 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 1472 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और दूरसंचार विभागों के कुछ सर्किलों में हिन्दी अनुवादक ग्रेड–I के पद उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक सर्किल के हिन्दी अनुवादकों का दूसरे सर्किल में स्थानातरण नहीं हो सकता;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच कि पांच वर्ष की नियमित सेवा के उपरान्त पदोन्नति के लिए पात्रता प्राप्त करने के बावजूद उन सर्किलों में कार्यरत ग्रेड–II के हिन्दी अनुवादक ग्रेड–I में पदोन्नति प्राप्त नहीं कर पाते जहां पर ग्रेड–I के पद उपलब्ध नहीं हैं, और उन्हें ग्रेड–II पद पर ही सेवा निवृत्त होना पड़ता है और

(घ) इस अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) पदोन्नति अगले उच्च ग्रेड में पद उपलब्ध होने पर निर्भर करती है न कि मात्र पात्रता पर । चूंकि ग्रेड–I पर पदोन्नति राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सर्किल विशेष के लिए मंजूर पद के आधार पर की जाती है और यह संवर्ग अखिल भारतीय संवर्ग नहीं है, इसलिए अलग-अलग सर्किलों के बीच तुलना करना प्रासंगिक नहीं होगा । इस प्रकार, अन्याय का प्रश्न नहीं उठता ।